



न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन)

COURT OF STATE COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

समाज कल्याण विभाग/Social Welfare Department

बिहार सरकार/Government of Bihar

पत्रांक-स0स0-06/रा0आ0नि0-05 (प्र0स्त0)/2019 - 1270/आ0 नि0 को0

दिनांक-21 नवम्बर 19

प्रेषक,

अपर आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास,
सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली,
पश्चिम चम्पारण।

विषय :-

राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय द्वारा दिनांक 29 एवं 30 नवम्बर को विविध जिलों के चयनित प्रतिनिधि दिव्यांगजनों के राज्य स्तरीय क्षमता संवर्धन वर्कशॉप (Workshop for Capality Building) के आयोजन हेतु निदेशित करने के संबंध में।

प्रसंग:-

कार्यालय का समसंख्यक पत्रांक दिनांक-1192/आ0नि0को0, दिनांक-01.11.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र के तहत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-72 के प्रावधान का उल्लेख करते हुए जिला में विविध स्तर (पंचायत, प्रखण्ड एवं जिला) पर दिव्यांगजन समूह का गठन करने के संबंध में मार्गदर्शिका प्रेषित की गई थी। जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि प्रखण्ड स्तर समूह में से कम से कम पाँच प्रखण्ड के प्रतिनिधि दिव्यांगजन का (चक्रानुक्रम में) जिला स्तर पर दिव्यांगजन समूह बनना है जिससे कि बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 की कंडिका 22 (7) का परिपालन हो सके।

साथ ही विविध जिलों के चयनित प्रतिनिधियों के साथ राज्य स्तरीय क्षमता संवर्धन वर्कशॉप (Workshop for Capality Building) का राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय द्वारा दिनांक 29 व 30 नवम्बर 2019 को आयोजन किए जाने की सूचना प्रदान करते हुए विविध स्तरों पर गठित दिव्यांगजन समूहों की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि संबंधित जिलों हेतु दिनांक 30 नवम्बर 2019 को आयोजित उक्त राज्य स्तरीय क्षमता संवर्धन वर्कशॉप (Workshop for Capality Building) हेतु (विविध स्तरों पर गठित दिव्यांगजन समूहों की सूची, उपलब्ध कराने की कृपा की जाए तथा जिला स्तर पर गठित दिव्यांगजन समूह में शामिल कम से कम पाँच प्रखण्ड के प्रतिनिधि (चक्रानुक्रम में) दिव्यांगजन को 30 नवम्बर 2019 को आयोजित उक्त वर्कशॉप में शामिल होने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाए।

[वर्कशॉप के आयोजन स्थल एवं समय की सूचना नीचे अंकित है। वर्कशॉप में शामिल होने हेतु चयनित उपस्थित प्रतिनिधियों को इस कार्यालय द्वारा से किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।]

आयोजन का विवरण :-

नाम :- राज्य स्तरीय क्षमता संवर्धन वर्कशॉप
(Workshop for Capality Building)

स्थल :- कार्यालय राज्य आयुक्त निःशक्तता स्थित सभाकक्ष।

तिथि :- 30 नवम्बर 2019

समय :- पूर्वा0 11:00 बजे से अप0 2:00 बजे तक।

विश्वासभाजन

अपर आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

नू0पू030.....

